संख्या-524/2026/I/1461638/2026/001-CN-2073177-6-7099-352-2026

प्रेषक,

अन्नावि दिनेशकुमार,

विशेष सचिव,

उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

अपर पुलिस महानिदेशक, मुख्यालय,

उ0प्र0 लखनऊ।

गृह (पुलिस) अनुभाग-7 लखनऊ : दिनांक 12 सितम्बर, 2026

विषयः- चालू वित्तीय वर्ष 2026-27 में प्रदेश पुलिस बल हेतु टियर स्मोक म्यूनिशन के क्रयार्थ धनराशि स्वीकृत किये जाने के संबंध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक आपके पत्र संख्या- उप0प्रको0-488/2026, दिनांक 16.07.2026 के संदर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि प्रदेश पुलिस हेतु टियर स्मोक म्यूनिशन के क्रयार्थ निम्नलिखित तालिका में उल्लिखित विवरणानुसार चालू वित्तीय वर्ष 2026-27 में कुल धनराशि रू 10,25,18,000/- (रूपये दस करोड़ पच्चीस लाख अठ्ठारह हजार मात्र) की प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति निर्गत किये जाने की सहर्ष स्वीकृति श्री राज्यपाल महोदय निम्न शर्तो के अधीन प्रदान करते हैः-

(धनराशि रू में)

क्रमांक	म्यूनिशन का नाम	प्रस्तावित संख्या	दर प्रति अदद	कुल अनुमानित व्ययभार
1	Tear Smoke Shell (N)	20,000	1,161/-	2,32,20,000/-
2	Tear Smoke Grenade (CS)	10,000	1,417/-	1,41,70,000/-
3	Stun Grenade	10,000	1,032/-	1,03,20,000/-
4	Tear Smoke Grenade (Chiili/Pava)	5,000	1,540/-	77,00,000/-
5	Dye Marker Grenade (Irritant)	4,000	1,201/-	48,04,000/-
6	Stun Shell (N)	20,000	928/-	1,85,60,000/-
7	Dye Marker Grenade	4,000	1,123/-	44,92,000/-
8	Stun Shell (E)	500	1,058/-	5,29,000/-
9	Candle Smoke	3,000	6,241/-	1,87,23,000/-

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी कया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमा णकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्या पत की जा सकती है ।

				10,25,18,000/-

(1) उत्तर प्रदेश पुलिस मुख्यालय/लॉजिस्टिक्स, उ0प्र0 लखनऊ द्वारा उपकरण का क्रय सूक्ष्म लघु एवं मध्यम उद्यम अनु-2 के शा0दि0 26.11.2024 में दी गई व्यवस्था के माध्यम से समस्त औपचारिकताओं की पूर्ति सुनिश्चित करके नियमानुसार किया जाएगा । इस सम्बन्ध में उ0प्र0 प्रोक्योरमेन्ट मैनुअल एवं अन्य संगत वित्तीय नियमों / शासनादेशों का अनुपालन सुनिश्चित करते हुए सक्षम स्तर का अनुमोदन प्राप्त किया जायेगा ।

(2) धनराशि आहरित करने से पूर्व उत्तर प्रदेश पुलिस मुख्यालय/लॉजिस्टिक्स, उ0प्र0 लखनऊ द्वारा यह सुनिश्चित कर लिया जाए कि उक्त उपकरण के क्रय हेतु पूर्व में धनराशि स्वीकृत नहीं की गयी है । स्वीकृत धनराशि का आहरण तभी किया जायेगा जब उपकरण आदि की निर्धारित क्रय प्रक्रिया पूर्ण कर ली गयी हो।

(3) उत्तर प्रदेश पुलिस मुख्यालय/लॉजिस्टिक्स, उ0प्र0 लखनऊ कार्यात्मक आवश्यकता के दृष्टिगत प्रस्तावित उपकरण के मेक/ मॉडल/ स्पेसिफिकेशन एवं संख्या के सम्बन्ध में विभागीय व्यवस्थाओं के अन्तर्गत संतुष्ट हो लेंगे।

(4) उत्तर प्रदेश पुलिस मुख्यालय/लॉजिस्टिक्स, उ0प्र0 लखनऊ क्रय किये जाने वाले उपकरण की गुणवत्ता एवं उपयोगिता के संबंध में पूर्णतः संतुष्ट हो लेगें ।

(5) उपकरण का क्रय स्वीकृत धनराशि की सीमा में किया जायेगा तथा किसी प्रकार का विचलन नहीं किया जायेगा ।

(6) उत्तर प्रदेश पुलिस मुख्यालय/लॉजिस्टिक्स, उ0प्र0 लखनऊ द्वारा वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1, के कार्यालय-ज्ञाप दिनांक 28-03-2026 में दी गयी व्यवस्था का अनुपालन सुनिश्चित किया जाएगा ।

(7) उत्तर प्रदेश पुलिस मुख्यालय/लॉजिस्टिक्स, उ0प्र0 लखनऊ प्रश्नगत प्रायोजन हेतु वहन की जाने वाली धनराशि के सुसंगत लेखाशीर्ष की शुद्धता के सम्बन्ध में स्वस्तर से संतुष्ट हो लेंगे ।

(8) उत्तर प्रदेश पुलिस मुख्यालय/लॉजिस्टिक्स, उ0प्र0 लखनऊ द्वारा स्वीकृत धनराशि का उपयोग दि0 31 मार्च, 2027 तक सुनिश्चित कर लिया जाय ।

(9) यदि कोई धनराशि बचती है तो अवशेष धनराशि के समक्ष कोई अन्य उपकरण/सेवाएं क्रय न किया जाये, किसी प्रकार का विचलन न किया जाय।

(10) किसी भी प्रकार की वित्तीय अनियमितता/आडिट आपत्ति हेतु उत्तर प्रदेश पुलिस मुख्यालय/लॉजिस्टिक्स, उ0प्र0 लखनऊ उत्तरदायी होंगे।

2- इस संबंध में होने वाला व्यय रुपये 10,25,18,000/- (रूपये दस करोड़ पच्चीस लाख अठ्ठारह हजार मात्र) को चालू वित्तीय वर्ष 2026-27 के आय-व्ययक मे अनुदान संख्या 026 लेखा

शीर्षक 4070008000900 जिला पुलिस (मुख्य) मानक मद 26 मशीनें और सज्जा /उपकरण और संयंत्र के नामे डाला जायेगा।

3- यह आदेश कंप्यूटर द्वारा उत्पन्न अशासकीय संख्या- E-12-233-X-2026-27 दिनांक 11-09-2026 मे प्राप्त वित्त विभाग की सहमति से निर्गत किये जा रहे है।

भवदीय,

अन्नावि दिनेशकुमार

विशेष सचिव ।

संख्या-524/2026/I/1461638/2026/001-CN-2073177-6-7099-352-2026, तद् दिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1-महालेखाकार, (लेखा एवं हकदारी) प्रथम/द्वितीय, उ0प्र0 प्रयागराज।

2-महालेखाकार (लेखा परीक्षा) प्रथम/द्वितीय, उ0प्र0 प्रयागराज।

3-पुलिस महानिदेशक, उ0प्र0 लखनऊ।

4-अपर पुलिस महानिदेशक, लॉजिस्टिक्स, उ0प्र0 लखनऊ।

5-निदेशक, वित्तीय एवं साख्यकीय निदेशालय जवाहर भवन लखनऊ।

6-संबंधित मुख्य/वरिष्ठ कोषाधिकारी उ0प्र0।

7-वित्त (व्यय-नियंत्रण) अनुभाग-12।

8- गार्ड फाइल हेतु ।

आज्ञा से,

दीपक पटेल

अनु सचिव ।

http://shasa

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी कया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापत की जा सकती है ।